न्यायालय : अपर सेशन न्यायाधीश, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम

पीठासीन अधिकारी : : : संजय कुमार मीना (RJS)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 77 / 36,
जमानत आवेदन संख्या – 134 / 2026
सी.आई.एस. नं. – 130 / 2026

मक्खनलाल पुत्र रामकुवार बावरिया, निवासी नवलपुरा, पीएस मनोहरपुर, जिला जयपुर (राज0)

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य

.....अभियोजन

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस
अपराध अन्तर्गत धारा 9, 39, 48(ए), 52 / 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज बस्सी

उपस्थिति :
1. विद्वान अधिवक्ता श्री रामगोपाल मिश्रा, प्रार्थी / अभियुक्त की ओर से।
2. विद्वान अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

: आदेश :

दिनांक : 15.06.2026

1. प्रार्थी / अभियुक्त मक्खन बावरिया की ओर से जरिये अधिवक्ता उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपराध में यह जमानत का यह प्रथम आवेदन पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र धारा 480 बी.एन.एस.एस के अधीन न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर–प्रथम द्वारा दिनांक 05.06.2026 को अस्वीकार किया गया है। बहस सुनी गई तथा केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के समस्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 31.05.2026 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र की 'संडे बिग स्टोरी' में बताया गया कि जमवारामगढ़ अभयारण्य क्षेत्र में खरगोश का शिकार कर उसे लगभग 1000 / – रूपये में बेचा रहा है। जिस पर सहायक वन संरक्षक (वन्यजीव), जमवारामगढ द्वारा जांच एवं

आवश्यक कार्यवाही हेतु एक दल का गठन किया गया। गठित दल द्वारा दैनिक भास्कर में प्रकाशित फोटो एवं उपलब्ध धुंधले वीडियो के आधार पर दिनांक 31.05.2026 को ग्राम चौमखा, गडली की ढाणी, पंचायत समिति जमवारामगढ में रात्रि 11.00 बजे दबिश दी गई। मौके पर समाचार पत्र में प्रकाशित फोटो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों में से दो व्यक्तियों की पहचान की जा सकी। पूछताछ करने पर प्रथम एवं मुख्य अभियुक्त की पहचान मक्खनलाल बावरिया व द्वितीय सहअभियुक्त की पहचान राहुल बावरिया के रूप में हुई। दौराने जांच यह पाया गया कि उसके द्वारा जाल बिछाकर खरगोश, जो वन्य जीव (संरक्षण), 1972 (संधोधित 2023) की अनुसूची–2 में सूचीबद्ध वन्यजीव है, का शिकार व विक्रय किया गया है। अभियुक्त मक्खनलाल द्वारा राहुल बावरिया व दिलखुश बावरिया की संलिप्तता भी बताई। प्रतिबंधित वन्य जीव खरगोश का शिकार जयपुर के जंगलों एवं आसपास से किया जा रहा है, जिस पर प्रकरण संख्या 77/36 दिनांक 31.05.2026 क्षेत्रीय वन अधिकारी, रेंज बस्सी द्वारा धारा 9, 39, 48(ए), 52/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान किया गया। दौराने अनुसंधान मुलजिम मक्खनलाल को गिरफ्तार किया गया।

3. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थी को झूंठा फंसाया गया है इससे प्रार्थी का कोई सरोकार नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है ना ही होना शेष है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, अधिक दिनों तक अभिरक्षा में रहने पर उसके भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। प्रकरण में सजा आजीवन कारावास या मृत्युदण्ड नहीं है। प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा में अभी लम्बा समय लगने की पूरी संभावना है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिये जाने के पश्चात् प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रकरण के गवाहों को डराने, धमकाने या बहलाने का कोई अंदेशा नहीं है। अंत में जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी/अभियुक्त को उचित जमानत मुचलको पर रिहा करने का निवेदन किया।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने विरोध किया व जमानत का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

5. प्रकरण पर सुना गया। अनुसंधान पत्रावली एवं तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। **मुताबिक तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं अनुसंधान पत्रावली प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध हस्तगत प्रकरण के अलावा अन्य पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड अंकित होना नहीं पाया गया।**

6. केस डायरी का अवलोकन करने से यह जाहिर होता है कि यह प्रकरण वन्य जीव खरगोश का शिकार व विक्रय किये जाने के समाचार, दैनिक भास्कर समाचार पत्र में प्रकाशित होने व मामले की जांच सही पाये जाने के आधार पर दर्ज किया गया है। प्रकरण में अभियुक्त पर वन्य जीव खरगोश का शिकार किये जाने का अभियोग है। अभियुक्त काफी समय से न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त एक नवयुवक है और उसके विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज होना अनुसंधान पत्रावली से दर्शित नहीं होता है। साथ ही मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए मुलजिम का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

7. फलतः अभियुक्त मक्खनलाल पुत्र रामकुवार बावरिया, निवासी नवलपुरा, पीएस मनोहरपुर, जिला जयपुर (राज0) की ओर से प्रस्तुत यह जमानत का आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस एतद्नुसार स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपनी नियमित उपस्थिति हेतु 25,000–25,000/–रूपये (पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये) की दो सुदृढ़ जमानतें व 50,000/– रुपये (पचास हजार रूपये) के मुचलके प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे, तो उसे तुरन्त जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे। आदेश की एक प्रति अविलम्ब अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। न्यायिक नजीर **In Re Policy Strategy For Grant of Bail, SMWP (Criminal) No. 4/2021, Dated 31-01-2023** की पालना में प्रार्थी/अभियुक्त को व्यक्तिगत नोटिस हेतु आदेश की प्रति जरिये ई–मेल संबंधित कारागृह को प्रेषित की जावे।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम

8. आदेश आज दिनांक 15.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय कुमार मीना)
अपर सेशन न्यायाधीश बस्सी
जयपुर महानगर–प्रथम